भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 324

04 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत

"पीएम ईड्राइव सब्सिडी योजना-"

324. **श्री गौरव गोगोई**:

क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश भर में प्रधानमंत्री ई-ड्राइव सब्सिडी योजना के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्युत चालित वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट चुनौतियों और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का समाधन किस प्रकार किए जाने का विचार है;

(ग) उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) पीएम ई- ड्राइव योजना के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों और उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास के लिए 29 सितंबर 2024 को 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को अधिसूचित किया है। यह योजना 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक दो वर्षों की अवधि में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी , ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता प्रदान करना है । 778 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली ईएमपीएस-2024 योजना को 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 06 महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिसे पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया गया है। पीएम ई-ड्राइव योजना को पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे भारत में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) एवं (ग) विशेष रूप से, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गैर-ओपेक्स मॉडल पर राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन

पर विचार कर सकता है। यह मानक परिचालन व्यय (ओपेक्स) या सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

इसके अलावा, योजना की समग्र निगरानी, मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना कार्यान्वयन और मंजूरी समिति (पीआईएससी) का गठन किया गया है। इस समिति के पास कार्यान्वयन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को हल करने का अधिकार भी है।

(घ): पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों, आयोजनों, प्रदर्शनियों, रोड शो आदि के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है । उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और योजना को बढ़ावा देने के लिए, आवश्यकतानुसार शिक्षा और प्रशिक्षण, प्रचार, एमएचआई, उद्योग संघों, स्वैच्छिक संगठनों आदि द्वारा व्यावसायिक बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के आयोजन के माध्यम से उपयुक्त आईईसी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

*****